झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (स्था0)–03 / 2022 - 289

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:– 16.03.2022

विषय:– **झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग में रिक्त पदों के विरूद्ध सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 5 सदस्य का पद स्वीकृत है। वर्तमान में झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग में माननीय अध्यक्ष के अतिरिक्त तीन सदस्य कार्यरत हैं। इन तीन सदस्यों में से दो श्री हलधर महतो, दिनांक 20 अप्रैल 2022 एवं डॉ रंजना कुमारी, दिनांक 03 मई 2022 को सेवानिवृत हो रहे हैं। इस प्रकार दिनांक–03.05.2022 के बाद राज्य खाद्य आयोग में माननीय अध्यक्ष के अतिरिक्त एक सदस्य कार्यरत रहेंगी।

उल्लेखनीय है कि झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली–2015 की कंडिका–14(4) में प्रत्येक वाद की सुनवाई न्यूनतम दो सदस्यीय बेंच द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार आयोग के माननीय सदस्यगणों की सेवानिवृति के फलस्वरूप दिनांक–03.05.2022 के उपरान्त सुनवाई बाधित होने की संभावना उत्पन्न हो जाएगी।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि राज्य खाद्य आयोग में रिक्त पदो के विरूद्ध सदस्यों की नियुक्ति करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
9/3/22
(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx191

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261